तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12616/2004/सीकर** **जगदीश प्रसाद बनाम रामगोपाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री हेमन्त दीक्षित, अभिभाषकगण प्रार्थीगण।

श्री श्यामबाबू पारीक, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 15–1–2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत अपर जिला कलेक्टर, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार, श्रीमाधोपुर के समक्ष ग्राम सरगोठ में स्थित विवादित आराजीयात बाबत् दोनों पक्षों द्वारा अदला–बदली कर लिये जाने के कारण उसी अनुसार खातेदारी में दर्ज किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार, श्रीमाधोपुर द्वारा पटवारी रिपोर्ट एवं मौका निरीक्षण के पश्चात् अपने आदेश दिनांक 2–8–2003 द्वारा ग्राम सरगोठ के खसरा नंबर 374 रकबा 0.35 हेक्टेयर की खातेदारी अदला–बदली के अनुसार प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष प्रभातीलाल पुत्र बालुराम कौम ब्राह्मण निवासी सरगोठ व खसरा नंबर 351/3326 रकबा 0.18 हेक्टेयर द्वितीय पक्ष से प्रथम पक्ष जगदीशप्रसाद, सांवरमल, भंवरलाल, महावीर प्रसाद पिता हरिनारायण, अचली देवी बेवा हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सरगोठ के नाम करने का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया। तहसीलदार, श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–2003 के विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–7–2004 द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–2003 खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2004 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12616/2004/सीकर** **जगदीश प्रसाद बनाम रामगोपाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि दोनों पक्ष के खातेदारों ने आपसी सहमति से अदला–बदली हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया था, जिस पर तहसीलदार ने बाद पटवारी मौका रिपोर्ट एवं निश्चित शुल्क आदि जमा कराने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात करने का आदेश प्रदान किया था, जिसका उन्हें पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त थे। अप्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि से कभी भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है तथा न ही वे उक्त खसरा नंबरान के खातेदार हैं। तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण के मध्य की जानी वाली कार्यवाही से पूर्व भली–भांति राजस्व रिकार्ड, मौका आदि की जांच कराये जाने के पश्चात् निर्णय पारित किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–7–2004 निरस्त किया जावे। 5– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विनिमय–पत्र के आधार पर नामांतरकरण दर्ज हुआ है। विनिमय के लिए तहसीलदार अधिकृत नहीं है। उक्त भूमि का उपयोग वाणिज्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। पुराना खसरा नंबर 114 के तीन नये खसरा नंबर 351, 355 एवं 351/3326 किये गये। दो टुक़ड़ों का तो सभी अप्रार्थीगण के नाम रख दिया, लेकिन खसरा नंबर 351/3326 में प्रार्थी संख्या 6 प्रभाती लाल का ही नाम दर्ज कर दिया गया। इसका फायदा उठाकर प्रार्थी संख्या 6 ने अन्य प्रार्थीगण के नाम विनिमय कर दिया। दुकाने वाणिज्यक प्रयोजनार्थ बनी हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, श्रीमाधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र खातेदारी को विनिमय के आधार पर दर्ज करने हेतु प्रस्तुत कर ग्राम सरगौठ के खसरा नंबर 374 रकबा 0.35 की खातेदारी प्रथम पक्ष के नाम से व खसरा नंबर 351/3326 रकबा 0.78 की खातेदारी द्वितीय पक्ष के नाम से है। दोनों पक्षों ने जमीनों का अदल बदल कर लिया है। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12616/2004/सीकर** **जगदीश प्रसाद बनाम रामगोपाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अदल–बदल के अनुसार खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 30–7–2003 के अनुसार ग्राम सरगौठ की भूमि खसरा नंबर 374 रकबा 0.35 सोयम की खातेदारी संवत् 2057–2060 के अनुसार जगदीशप्रसाद पि0 हरिनारायण मु. आचुकी बेवा हरिनारायण हि.ब.हि. की ढाणी लाखाजी सरगोठ राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मुर्तहीन के नाम दर्ज है तथा ग्राम सरगोठ की भूमि खसरा नंबर 351/3326 रकबा 0.18 बारानी सोयम की खातेदारी प्रभातीलाल पुत्र कालूराम के नाम दर्ज है। तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 2–8–2003 को उक्त भूमि के अदला बदली के आदेश पारित किए। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा अपर जिला कलेक्टर, सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया क्योंकि तहसीलदार ने बिना राजस्व रिकार्ड की जांच किए वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम आ रही भूमि का पक्षकारान के मध्य अदला–बदली का आदेश पारित किया, जो विधिसम्मत नहीं था एवं राजस्व रिकार्ड में सशोधन एवं खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही किये जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही थी, लेकिन तहसीलदार ने बिना किसी दस्तावेज की जांच किए अदला बदली के आदेश पारित किए है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसे विधिसम्मत आदेश में निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 मूलतः इस प्रकार है– **"230- Power of the Board to call for cases**- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears- (a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or (b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or (c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity. Board may pass such orders in the cases as it thinks fit. "	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/12616/2004/सीकर** **जगदीश प्रसाद बनाम रामगोपाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त धारा में यह भी प्रावधित किया है कि जब अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, जो विधि द्वारा उसमें विहित नहीं है या न्यायालय विहित अधिकारिता का उपयोग करने में असफल रहा हो या उसमें निहित अधिकारिता का अवैधानिक या तथ्यात्मक अनियमितता के रूप में उपयोग किया हो, तो निगरानी की जा सकती है । उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है । अतः निगरानी निरस्त योग्य है । 8— अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	